

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1962] No. 1962] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2017/आषाढ़ 21, 1939 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2017/ASADHA 21, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

का.आ. 2203(अ).—यत:, मै. केआरसी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्टस प्राईवेट लिमिटेड तथा गेरा डेवलपमेंट्रस प्राईवेट लिमिटेड (संयुक्त रूप से), ने महाराष्ट्र राज्य के खरादी गाँव, हवेली तालुका, जिला पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत:, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 22 फरवरी, 2017 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उपर्युक्त स्थान के 4.03 हेक्टेयर के नीचे दी गई तालिका में दिए गए खसरा नंबर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

4302 GI/2017 (1)

तालिका

क्रं.स.	गाँव का नाम	विकासकर्ता का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	खरादी	केआरसी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड	65/3	1.37
		प्रोजेक्टस प्राईवेट लिमिटेड		
2.		गेरा डेवलपमेंट्रस प्राईवेट लिमिटेड	65/1	0.18
3.			65/2	0.92
4.			65/3	1.56
			कुल	4.03

और अत: विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य	सदस्य, पदेन
	विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं	
	होगा	
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश	सदस्य, पदेन
	व्यापार महानिदेशक	
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या	सदस्य, पदेन
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से	
	कम नहीं होगा	
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा	सदस्य, पदेन
	उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त	सदस्य, पदेन
	सचिव से कम नहीं होगा	
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष, आंमत्रिती

और अत: विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 19 जून, 2017 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं.एफ.1/29/2016-एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

S.O. 2203(E).—WHEREAS, M/s. KRC Infrastucture & Projects Private Limited and Gera Developments Pvt. Ltd (Jointly) has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES at Kharadi Village, Taluka- Haveli, Distt. Pune, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 22nd February, 2017;

NOW; THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies **4.03** hectares area at above location with survey numbers given in the table below as a Special Economic Zone, namely:

TABLE

S.No.	Name of Village	Developer Name	Survey No.	Area (in hectares)
1.	Kharadi	KRC Infrastructure and Projects	65/3	1.37
		Private Limited		
2.		Gera Developments Private Limited	65/1	0.18
3.			65/2	0.92
4.			65/3	1.56
			Total	4.03

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson ex officio;	
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary	Member officio;	ex
	to the Government of India	одисто,	
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	Member <i>officio;</i>	ex
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member officio;	ex
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member officio;	ex
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member officio;	ex
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government	Member officio;	ex
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee	

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 19th day of June, 2017 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F.1/29/2016-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.